<u>**न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू**</u>

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 49 / 2021

1. मनीराम आयु 60 वर्ष पुत्र मूंगाराम
2. श्रीमति सावित्री आयु 53 वर्ष स्त्री रामचन्द्र
3. विक्रम आयु 32 वर्ष पुत्र रामचन्द्र,
   समस्त जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तन नूंआ तहसील व जिला झुंझुनूं।

— — अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं।
2. रामचन्द्र आयु 68 वर्ष पुत्र मामराज, जाति जाट, निवासी चन्द्रपुरा तन नूआं तहसील व जिला झुंझुनूं।

— — रेस्पोडेन्ट

— —

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.06.2021 एवं 07.06.2021 बाबत गै0मु0 रास्ता ख0नं0 126 रकबा 0.10 हैक्टर वाके ग्राम चन्द्रपुरा तन नुंआ द्वारा तहसीलदार झुंझुनूं।

— —

उपस्थित

1. श्री शिवनारायण सिंह, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विजयपाल, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से।

<u>**आदेश**</u>

दिनांक 06.04.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 30.03.2021 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट्स के अनुसार अपीलान्टस की खातेदारी की जमीन ख.नं. 117 तादादी 2.79 हैक्टर व ख0नं0 118 तादादी 2.80 हैक्टर वाके ग्राम चन्द्रपुरा स्थित है। इस जमीन के गत ख0नं0 34 तादादी 22 [illegible] चन्द्रपुरा रहे। नये सेटलमेन्ट के दौरान नक्शा ट्रेश सन् 1992—93 में अपीलान्टस की [illegible] ख0नं0 117 व 118 का नक्शा गलती से छोटा बना दिया जबकि मोके पर [illegible] है। अपीलान्टस व अन्य खातेदारान की ओर से नक्शा में की गई उक्त लिपि[illegible] त्रुटि को दुरूस्त [illegible] जाने हेतु अपीलान्ट नम्बर 1 मनीराम व अन्य की ओर से [illegible] पत्र उनवानी मनी[illegible] वगैरह बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थन पत्र अं0धा0 136 राजस्थान [illegible] रेवेन्यू एक्ट 1956, [illegible] 32 / 2011 न्यायालय उपखंण्ड अधिकारी, झुंझुनूं में दिनांक 16.05.2011 को प्रस्तुत किया। उक्त दुरूस्ती की कार्यवाही में मात्र सेटलमेन्ट के दोरान गत ख0नं0 34 जिसके नये ख0नं0 117 व 118 बनाये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

है। की सर्वेशीट सन् 1935–36 से नयी सर्वेशीट सन् 1992–93 को छोटा बना दिया गया उसे दुरूस्त किये जाने मे केवल रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 तहसीलदार झुंझुनूं को ही पक्षकार बनाया गया था। उक्त कार्यवाही में रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 ने भी बाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 को उक्त दुरूस्ती की कार्यवाही में पक्षकार बना दिया गया। उक्त प्रकिया विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 02.08.2021 वास्ते बहस मुर्कर है। अपीलान्टस की खातेदारी के गत खसरा नम्बर 34 के पश्चिम में रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 व अन्य की खातेदारी का खेत गत ख0नं0 35 स्थित रहा जिसके नये सेटलमेन्ट के दोरान नये ख0नं0 115, 116 व ख0नं0 120 लगायत 133 डाले गये है। अपीलान्टस की खातेदारी के गत ख0नं0 34 के पश्चिम में सटकर गत खसरा नम्बर 35 स्थित रहा जिसकी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे अर्थात अपीलान्टस की खातेदारी के खेत गत ख0नं0 34 जिसके नये ख0नं0 117 व 118 डाले गये है मे से रास्ता हमेशा से स्थित रहा व आज भी यथास्थान स्थित है। नये सेटलमेन्ट के दौरान उक्त गै0मु0 रास्ता के नये ख0नं0 126 रकबा 0.10 हैक्टर डाले गये है। उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि अपीलान्टस के गत ख0नं0 34 रकबा 22 बीघा 2 विश्वा जिसके नये ख0नं0 117 रकबा 2.79 हैक्टर व ख0नं0 118 रकबा 2.80 हैक्टर वाके चन्द्रपुरा में से कभी कोई रास्ता नही रहा जो इस बात से भी प्रमाणित होता है कि गै0मु0 रास्ता नये ख0नं0 126 तादादी 0.10 हैक्टर गत ख0नं0 35/1/1 व ख0नं0 35/1/2 वाके ग्राम चन्द्रपुरा से बना है जिसे रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 अथवा इस जमीन के अन्य किसी खातेदार ने कभी भी किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी। अपीलान्टस को उक्त अनुसार गत ख0नं0 34 का नक्शा ट्रेश छोटा बनाये जाने से उक्त रास्ता की स्थिति को लेकर विवाद होने की आशंका थी। इसलिए अपीलान्टस की ओर से गत ख0नं0 34 का नक्शा ट्रेश छोटा बनाते हुये नये ख0नं0 117 व 118 उक्त छोटे नक्शा में दर्शाए जाने में दुरूस्ती करवाये जाने हेतु उक्त अनुसार उपखण्ड अधिकारी/लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर झुंझुनूं के समक्ष कार्यवाही की हुई है जिसमें रेस्पोन्डेन्टस नम्बर 1, 2 दोनो ही पक्षकार है। अचानक दिनांक 06.06.2021 को बिना अपीलान्टस को किसी प्रकार की जानकारी दिये ख0नं0 126 गै0मु0 रास्ता के मौका पर गये पटवारी आदि ने मौके पर क्या कार्यवाही की इस बाबत अपीलान्टस को कोई जानकारी नहीं दी गई। परन्तु मौके पर कोई नपती आदि नही की गई। उसके दो दिन बाद दिनांक 08.06.2021 को पुनः पटवारी तहसीलदार आदि पुलिस जाब्ता के साथ ख0नं0 126 गै0मु0 रास्ता के मौके पर गये तथा जबरन बलपूर्वक अपीलान्टस के खेत ख0नं0 118 की पश्चिमी सीमा की बाड को हटा दिया। अपीलान्ट नम्बर 1 ने इस बाबत जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को इस बाबत कहा तो उसने उक्त कटानी रास्ता में अतिक्रमण किया जाना बतलाते हुए अतिक्रमण को हटाना बताया। अपीलान्टस ने समस्त कार्यवाही से सम्बन्धित आदेश फर्द मौका आदि की नकलो के लिए आवेदन किया तो अपीलान्टस को दिनांक 15.6.2021 को फर्द मौका दिनांक 06.06.2021 व 08.06.2021 की नकले उपलब्ध करवाई परन्तु इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने बाबत विधिवत कार्यवाही व सम्बन्धित आदेश की नकले प्राप्त करने हेतु प्रार्थ[illegible] नम्बर 1 ने अपीलान्टस को कथित अतिक्रमण हटाये जाने से सम्बन्धित आदेश आदि [illegible] ले देने से इन्कार कर दिया। इस पर अपीलान्टस ने सूचना के अधिकार [illegible] हटाये जाने से सम्बन्धित सभी दस्तावेजात व आदेश आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि[illegible] प्राप्त करने हेतु विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेन्ट नम्बर [illegible] दिनांक 04.06.2021 व 07.06.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपियां डाक द्वारा भिजवाई गई जो अपीलान्ट[illegible] को दिनांक 08.07.2021 को प्राप्त हुई। अपीलांटस ने दिनांक 09.07.2021 को उक्त अनुसार नकले प्राप्त होने पर अपने वकील साहब से सम्पर्क किया। अपील तैयार करवाई। दिनांक 10.07.2021 व 11.07.2021 को क्रमशः शनिवार व रविवार का अवकाश होने से यह अपील आज अतिशीघ्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के आदेश दिनांक 4.06.

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:41 IST
Reason: SelfAttested

2021 व 07.06.2021 से व्यथित होकर यह अपील नीचे लिखे उजरात के अनुसार प्रस्तुत है कि अदालत मातहत का आदेश दिनांक 04.06.2021 व 07.06.2021 खिलाफ, कानून, न्याय व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2021 के अवलोकन से रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 द्वारा सतर्कता में कोई परिवाद प्रस्तुत किया जाना व उक्त परिवाद में रास्ता ख0नं0 126 रकबा 0.10 हैक्टर का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु टीम गठित की जाकर दिनांक 07.06.2021 तक रास्ता खुलवाये जाने को सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया गया है। परन्तु इस आदेश से यह स्पष्ट नही होता कि सर्तकता द्वारा विवादित रास्ता खुलवाये जाने का किसी प्रकार का कोई आदेश दिया गया हो। अधिक से अधिक सतर्कता द्वारा परिवाद में व्यथित व्यक्ति के रास्ता के बारे में जांच कर समुचित कार्यवाही किये जाने का आदेश ही दिया गया होगा। ऐसी परिस्थितियो में अदालत मातहत पटवारी हल्का से रास्ता के बाबत मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाने का आदेश दिया जाकर यदि मौके पर अपिलान्टस द्वारा कटानी रास्ता पर अतिक्रमण किया जाने बाबत रिपोर्ट आने पर अपीलान्टस के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत नोटिस जारी किया जाकर अपीलान्टस को रास्ता पर अतिक्रमण बाबत सुनवाई किये जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर ही किसी प्रकार की अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाही की जानी चाहिये थी क्योकि प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये किसी प्रकार का आदेश दिये जाने को अवैध माना गया है। तथा न कोई व्यक्ति इस प्रकार उसकी पीठ पीछे दिये गये आदेश को मानने के लिए बाउन्ड ही है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 04.06.2021 को सीमा ज्ञान किये जाने का आदेश देते हुये रास्ता खुलवाये जाने का भी विधिविरूद्ध आदेश दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 04.06.2021 की पालना में दिनांक 6.6.2021 को पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट व इस अंकित नम्बर का अवलोकन किया जावे तो इससे नक्शा ट्रेश में अंकित गै0मु0 रास्ता ख0नं0 126 में अंकित रास्ता की सही स्थान पर रिकार्ड के अनुसार स्थिति लोकेट किये जाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास ही नही किया जाना स्पष्ट होता है। क्योकि रास्ता की सही स्थिति को सही स्थान पर लोकेट करने के लिए सम्बन्धित खेत ख0नं0 118, 122, 125 आदि की सीमाओ को किसी फिक्स बिन्दू से नाप कर सुनिश्चित कर उसके बाद गै0मु0 रास्ता ख0नं0 126 रकबा 0.10 हैक्टर नक्शा ट्रेश के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिये था परन्तु पटवारी हल्का आदि द्वारा तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट व इस रिपोर्ट पर अंकित नक्शा से विवादित रास्ता को मौके पर उसकी स्थिति को सुनिश्चित किया जाना प्रकट नही होता। गै0मु0 रास्ता ख0नं0 126 रकबा 0.10 हैक्टर रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 के खेत ख0नं0 122 व 125 का भाग है जो ख0नं0 122 व 125 में से ही स्थित है परन्तु फर्द मौका रिपोर्ट व उस पर अंकित नक्शा से जहां से अपीलान्टस के खेत ख0नं0 118 की सीमा हटाई जाना बताया गया है वह सीमा तो अपीलान्टस के ख0नं0 118 की भूमि के भाग में है जहां पर रास्ता में अतिक्रमण होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उक्त अनुसार पटवारी हल्का सिरियासर कलां आदि द्वारा गलत रूप से बिना अपीलान्टस को सूचित किये उनकी [illegible] फर्द मौका रिपोर्ट के अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मा[illegible] उक्त फर्द मौका रिपोर्ट पर गहनता से विचार किये दिनांक 7.6.2021 को [illegible] रास्ता ख0नं0 126 रकबा 0.10 हैक्टर को अपीलान्टस द्वारा अतिक्रमण कर [illegible] कर रखा होना बतलाते हुये दिनांक 08.06.2021 को उक्त रास्ते से अतिक्रमण [illegible] आदेश दिनांक 7.6.2021 दिये जाने से पूर्व भी अदालत मातहत ने अपीलांटस को उनका रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने के लिए बिना नोटिस अं.धा. 91 राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट दिये बिना प्रकिया अपनाये ही रास्ता से अतिक्रमण हटाये जाने का विधि विरूद्ध आदेश दिया जबकि अपीलान्टस का कोई अतिक्रमण उक्त रास्ता ख0नं0 126 पर कभी नहीं रहा तथा न रास्ता अपीलान्टस की खातेदारी की जमीन में से रहा। अदालत मातहत द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:41 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 4.6.2021 से लेकर 7.6.2021 तक की गई समस्त कार्यवाही के फलस्वरूप दिनांक 8.6.2021 को पटवारी हल्का व स्वयं अदालत मातहत द्वारा पुलिस जाब्ता लेकर अपीलान्टस के ख0नं0 118 की बाड को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये हटाये जाना अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत पटवारी वगैरह की रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 से मिली भगत कर सम्पूर्ण कार्यवाही नाजायज रूप से किया जाना स्पष्ट होता है तथा आदेश दिनांक 4.6.2021 व 7.6.2021 बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विधिविरूद्ध होने से अवैध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है तथा उक्त अनुसार अवैध आदेशो की पालना में अपीलांटस के विरूद्ध गै0मु0 रास्ता ख0नं0 126 रकबा 0.10 हैक्टर पर से अपीलान्टस द्वारा अतिक्रमण किये जाने की समस्त कार्यवाही विधिविरूद्ध हैं जिसके लिए अपिलान्टस रेस्पोन्डेन्टस नम्बर 1 व 2 से हर्जाना बतौर प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है। गैर मुमकिन रास्ता ख0नं0 126 रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 की खातेदारी की भूमि ख0नं0 122 व 125 का भाग है तथा ख0नं0 122 व 125 मं से ही सैटलमेन्ट के दौरान रास्ता कायम किया गया है किसी खातेदार की भूमि में से कटानी रास्ता कायम किये जाने पर जितनी भूमि रास्ता में आ जाती है उतना रकबा उस खातेदार की खातेदारी की भूमि से कम हो जाता है। गै0मु0 रास्ता ख0नं0 126 रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 व अन्य की खातेदारी की भूमि में से कायम किया जाना इस भूमि के राजस्व अभिलेख से स्पष्ट है। इसके विपरित रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 ने उक्त रास्ता को अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि ख0नं0 118 में से होना गलत बतलाते हुये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से मिलीभगत कर झुठे व विधिविरूद्ध आदेश करवा कर गलत रूप से अपीलान्टस के ख.नं. 118 की सीमा को गलत उखाडा है जो अपीलान्टस रेस्पोन्डेन्टस के खर्चे से वापस यथावत करवाने के अधिकारी है। रेस्पोडेन्टस द्वारा बाला कार्यवाही कर बिना अपीलान्टस को नोटिस दिये अतिक्रमण हटवाये जाने बाबत गलत कार्यवाही की गई है जोइस बात से भी प्रमाणित होता है कि अपीलान्ट नम्बर 3 भारतीय सेना में सेवारत है तथा दिनांक 04.06.2021 से बहुत पहले से ही अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहा तथा मौके पर मौजूद ही नही था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट नम्बर 3 द्वारा गैर मु.रास्ता ख0नं0 126 पर इसके द्वारा अतिक्रमण किया जाना किस प्रकार सम्भव हो सकता था। अतः अपीलान्टस की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 4.6.2021 व 7.6.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2021 के अवलोकन से रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 द्वारा सतर्कता में कोई परिवाद प्रस्तुत किया जाना व उक्त परिवाद में रास्ता ख0नं0 126 रकबा 0.10 हैक्टर का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु टीम गठित की जाकर दिनांक 07.06.2021 तक रास्ता खुलवाये जाने को सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया गया है। परन्तु इस आदेश से यह स्पष्ट नही होता कि सर्तकता द्वारा विवादित रास्ता खुलवाये जाने का किसी प्रकार का कोई आदेश दिया गया हो। अधिक से अधिक सतर्कता द्वारा परिवाद में व्यथित व्यक्ति के रास्ता के बारे में जांच कर समुचित कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया होगा। ऐसी परिस्थितियो में अदालत मातहत पटवारी हल्का से रास्ता के बाबत रिपोर्ट तलब की जाने का आदेश दिया जाकर यदि मौके पर अपीलान्टस द्वारा कटानी रास्ता पर अतिक्रमण किया जाने बाबत रिपोर्ट आने पर अपीलान्टस के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत नोटिस जारी किया जाकर अपीलान्टस को रास्ता पर अतिक्रमण बाबत सुनवाई किये जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर ही किसी प्रकार की अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाही की जानी चाहिये थी। क्योकि प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये किसी प्रकार का आदेश दिये जाने को अवैध माना गया है। तथा न कोई व्यक्ति इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

उसकी पीठ पीछे दिये गये आदेश को मानने के लिए बाउन्ड ही है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 04.06.2021 को सीमा ज्ञान किये जाने का आदेश देते हुये रास्ता खुलवाये जाने का भी विधिविरूद्ध आदेश दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 04.06.2021 की पालना में दिनांक 6.6.2021 को पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट व इस अंकित नम्बर का अवलोकन किया जावे तो इससे नक्शा ट्रेश में अंकित गै0मु0 रास्ता ख0नं0 126 में अंकित रास्ता की सही स्थान पर रिकार्ड के अनुसार स्थिति लोकेट किये जाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास ही नही किया जाना स्पष्ट होता है। क्योकि रास्ता की सही स्थिति को सही स्थान पर लोकेट करने के लिए सम्बन्धित खेत ख0नं0 118, 122, 125 आदि की सीमाओ को किसी फिक्स बिन्दू से नाप कर सुनिश्चित कर उसके बाद गै0मु0 रास्ता ख0नं0 126 रकबा 0.10 हैक्टर नक्शा ट्रेश के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिये था परन्तु पटवारी हल्का आदि द्वारा तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट व इस रिपोर्ट पर अंकित नक्शा से विवादित रास्ता को मौके पर उसकी स्थिति को सुनिश्चित किया जाना प्रकट नही होता। गै0मु0 रास्ता ख0नं0 126 रकबा 0.10 हैक्टर रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 के खेत ख0नं0 122 व 125 का भाग है जो ख0नं0 122 व 125 में से ही स्थित है परन्तु फर्द मौका रिपोर्ट व उस पर अंकित नक्शा से जहां से अपीलान्टस के खेत ख0नं0 118 की सीमा हटाई जाना बताया गया है वह सीमा तो अपीलान्टस के ख0नं0 118 की भूमि के भाग में है जहां पर रास्ता में अतिक्रमण होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उक्त अनुसार पटवारी हल्का सिरियासर कलां आदि द्वारा गलत रूप से बिना अपीलान्टस की सूचित किये उनकी गैर मौजुदगी में तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट के अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत ने बिना उक्त फर्द मौका रिपोर्ट पर गहनता से विचार किये दिनांक 7.6.2021 को पुनः अदालत मातहत ने गै0 मु0 रास्ता ख0नं0 126 रकबा 0.10 हैक्टर को अपीलान्टस द्वारा अतिक्रमण कर सकडा कर रखा होना बतलाते हुये दिनांक 08.06.2021 को उक्त रास्ते से अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश दिनांक 7.6.2021 दिये जाने से पूर्व भी अदालत मातहत ने अपीलांटस को उनका रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने के लिए बिना नोटिस अं.धा. 91 राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट दिये बिना प्रकिया अपनाये ही रास्ता से अतिक्रमण हटाये जाने का विधि विरूद्ध आदेश दिया जबकि अपीलान्टस का कोई अतिक्रमण उक्त रास्ता ख0नं0 126 पर कभी नहीं रहा तथा न रास्ता अपीलान्टस की खातेदारी की जमीन में से रहा। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 4.6.2021 से लेकर 7.6.2021 तक की गई समस्त कार्यवाही के फलस्वरूप दिनांक 8.6.2021 को पटवारी हल्का व स्वयं अदालत मातहत द्वारा पुलिस जाब्ता लेकर अपीलान्टस के ख0नं0 118 की बाड को बिना विधिक प्रकिया अपनाये हटाये जाना अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत पटवारी वगैरह की रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 से मिली भगत कर सम्पूर्ण कार्यवाही नाजायज रूप से किया जाना स्पष्ट होता है तथा आदेश दिनांक 4.6.2021 व 7.6.2021 बिना विधिक प्रकिया अपनाये विधिविरूद्ध होने से अवैध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है तथा उक्त अनुसार अवैध आदेशो की पालना में अपिलांटस के विरूद्ध गै0मु0 रास्ता ख0नं0 126 रकबा 0.10 हैक्टर पर से अपीलान्टस द्वारा अतिक्रमण किये जाने की समस्त कार्यवाही विधिविरूद्ध हैं जिसके लिए अपिलान्टस रेस्पोन्डेन्टस नम्बर 1 व 2 से हर्जाना बतौर प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है। गैर मुमकिन रास्ता ख0नं0 126 रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 की खातेदारी की भूमि ख0नं0 122 व 125 का भाग है तथा ख0नं0 122 व 125 मं से ही सैटलमेन्ट के दौरान रास्ता कायम किया गया। किसी खातेदार की भूमि में से कटानी रास्ता कायम किये जाने पर जितनी भूमि रास्ते में आ जाती है उतना रकबा उस खातेदार की खातेदारी की भूमि से कम हो जाता है। गै0मु0 रास्ता ख0नं0 126 रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 व अन्य की खातेदारी की भूमि में से कायम किया जाना इस भूमि के राजस्व अभिलेख से स्पष्ट है। इसके विपरित रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 ने उक्त रास्ता को अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि ख0नं0 118 में से होना गलत बतलाते हुये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से मिलीभगत कर झुठे व विधिविरूद्ध आदेश करवा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:41 IST
Reason: SelfAttested

गलत रूप से अपीलान्टस के ख.नं. 118 की सीमा को गलत उखाडा है जो अपीलान्टस रेस्पोन्डेन्टस के खर्चे से वापस यथावत करवाने के अधिकारी है। रेस्पोडेन्टस द्वारा बाला कार्यवाही कर बिना अपीलान्टस को नोटिस दिये अतिक्रमण हटवाये जाने बाबत गलत कार्यवाही की गई है जो इस बात से भी प्रमाणित होता है कि अपीलान्ट नम्बर 3 भारतीय सैना में सेवारत है तथा दिनांक 04.06.2021 से बहुत पहले से ही अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहा तथा मोके पर मौजूद ही नही था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट नम्बर 3 द्वारा गैर मु.रास्ता ख0नं0 126 पर इसके द्वारा अतिक्रमण किया जाना किस प्रकार सम्भव हो सकता था। अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 4.6.2021 व 7.6.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि तथाकथित आदेश दिनांक 04.06.2021 एवं 07.06.2021 प्रशासनिक आदेश है न कि न्यायिक आदेश है। प्रशासनिक आदेश की अपील अपीलान्ट नही कर सकता है। तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा परिवाद प्राप्त होने पर सर्तकता समिति की बैठक मे लिये गये निर्णयानुसार तहसीलदार झुंझुनूं को प्रकरण मे कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया था जिसकी पालना मे तहसीलदार झुंझुनूं ने यह कार्यवाही की है। अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें।

राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि तथाकथित आदेश दिनांक 04.06.2021 एवं 07.06.2021 न्यायिक आदेश की तारीफ मे नही आता है। अपीलान्ट की अपील उचित नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 व राजकीय अभिभाषक का यह कथन उचित है कि आदेश दिनांक 04.06.2021 एवं 07.06.2021 प्रशासनिक आदेश है न कि न्यायिक आदेश है। प्रशासनिक आदेश की अपील अपीलान्ट नही कर सकता है। तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा जिला कलक्टर, झुंझुनूं द्वारा सर्तकता समिति की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुसार लिखे गये पत्र की पालना मे तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा प्रकरण मे यह कार्यवाही की गई है जो कि प्रशासनिक आदेश है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन व चलने योग्य नही है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारीज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.04.2022 को खुले [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.26 10:13:41 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं